


राजस्थान सरकार  
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1(4) आप्रसआ/सामान्य/2016/14608-40 दिनांक 30.11.2016 के द्वारा राज्य के अजमेर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, चूरु, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमन्द एवं उदयपुर के 5656 ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयनुसार अभावग्रस्त घोषित ग्रामों में प्रभावित कशतकारों के अल्पकालीन फसली सहकारी ऋणों को कशतकारों द्वारा दिए गए विकल्प अनुरूप मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कर इस संबंध में निर्देशों की प्रति इस विभाग को भी प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्न:-अधिसूचना की प्रति

भवदीय,

  
30/11/16  
(रोहित कुमार)  
शासन सचिव

प्रमुख शासन सचिव,  
सहकारिता विभाग,  
राज0 जयपुर।

एफ 1(4)आ0प्र0एवंसहा/सामान्य/2016/14659-60  
जयपुर, दिनांक 30-11-2016

प्रतिलिपि:-पंजीयक, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

  
31 शासन सचिव